नोटिस

वर्तमान में कोविड–19 महामारी का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है जिस कारण राजकीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में महामारी फैलने का अन्देशा हो गया है। कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में अत्यधिक सख्या में बाहरी व्यक्तियों का आवागमन होता है। उक्त महामारी की रोकथाम हेतु कलेक्ट्रेट कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश कार्यालय के अन्दर दिनांक 7–9–2020 से अग्रिम आदेशों तक पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई प्रार्थना पत्र आदि देना है तो वह अधोहस्ताक्षरी की ई–मेल आईडी सख्या dehradundm@gmail.com पर भेजा सकता है अथवा आपदा प्रबन्धक विभाग में रखे गये बोक्स में डाल सकता है । उक्त बोक्स में प्राप्त होने वाली डाक को 03 दिनों के बाद खोला जायेगा।

(डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी
देहरादून

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

सख्या 4664 / आपदा प्रबन्धन–2020 दिनांक 4–9–2020

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी सूचनार्थ।
2– सचिव(प्रभारी) सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून सूचनार्थ।
3– अपर जिलाधिकारी(प्र0)/वित्त एवं राजस्व देहरादून ।
4– नगर मजिस्ट्रेट देहरादून ।
5– उप जिलाधिकारी देहरादून ।
6– प्रभारी अधिकारी नजारत कलेक्ट्रेट देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– जिला सूचना अधिकारी देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नोटिस का प्रकाशन सभी समाचार पत्रों में निशुल्क कराना सुनिश्चित करे।
8– प्रभारी अधिकारी आग्ल अभिलेखागार कलेक्ट्रेट देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9– आपदा प्रबन्धन अधिकारी देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
देहरादून

Scanned with CamScanner

आदेश

वर्तमान में कोविड–19 महामारी का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है जिस कारण राजकीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में महामारी फैलने का अन्देशा हो गया है। समस्त उप जिलाधिकारी/तहसील कार्यालयों में अत्यधिक सख्या में बाहरी व्यक्तियों का आवागमन होता है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश सख्या 4664/आ0प्रब0–2020 दिनांक 4–9–2020 के द्वारा कोविड–10 महामारी की रोकथाम हेतु जिला कार्यालय में प्राप्त होने वाली डाक दिनांक 7–9–2020 से बोक्स में डाले जाने की व्यवस्था के साथ–2 बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश कार्यालय के अन्दर दिनांक 7–9–2020 से अग्रिम आदेशों तक पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया गया है।

अतः जिलाधिकारी महोदय के उक्त सन्दर्भित आदेश के क्रम में उप जिलाधिकारी/तहसील कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश कार्यालय के अन्दर दिनांक 7–9–2020 से अग्रिम आदेशों तक पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया जाता है। जनपद देहरादून के समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह उप जिलाधिकारी कार्यालय/तहसील कार्यालय में प्राप्त होने वाली डाक के लिये पृथक से एक डाक बोक्स की व्यवस्था करें,जिसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों के द्वारा डाक डाली जायेगी तथा उक्त बोक्स में प्राप्त होने वाली डाक को 03 दिनों के बाद खोला जायेगा।

4/9/20

(बीर सिंह बुदियाल)
अपर जिलाधिकारी(वि0 एवं रा0)
देहरादून

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

सख्या 4665/आपदा प्रबन्धन–2020 दिनांक 4–9–2020

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी सूचनार्थ।
2– सचिव(प्रभारी) सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून सूचनार्थ।
3– जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3– अपर जिलाधिकारी(प्र0)।
4– समस्त उप जिलाधिकारी जनपद देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5– समस्त तहसीलदार जनपद देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6– जिला सूचना अधिकारी देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नोटिस का प्रकाशन सभी समाचार पत्रों में निशुल्क कराना सुनिश्चित करे।

अपर जिलाधिकारी(वि0 एवं रा0)
देहरादून

Scanned with CamScanner